निकारागुआ संविधान

ISBN: 978-81-999822-0-8

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. BOOK TITLE : निकारागुआ संविधान
2. LANGUAGE: HINDHI
3. ISBN: 978-81-999822-0-8
4. EDITION: FIRST EDITION
5. AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR
6. PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY :-
7. M/s. INDIAN CHARTERED EXPORT COMPANY...– SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. CONTACT DETAILS:
   MOBILE: +91 7066766607 EMAIL: GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. YEAR OF PUBLICATION: 2026
10. FORMAT: SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. PRICE (IN INDIA): ₹ 10 /- (Printed and Published in India)

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.

Disclaimer:

This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

निकारागुआ संविधान

TITLE I – मूल सिद्धांत

अनुच्छेद 1

निकारागुआ की स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्णय जनता के अविच्छेद्य अधिकार हैं।

किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से इन अधिकारों को खतरा होता है।

इनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 2

राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निहित है।

जनता इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रयोग करती है।

यह प्रतिनिधियों, जनमत संग्रह (Referendum) आदि के माध्यम से लागू होती है।

अनुच्छेद 3

शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना राष्ट्र का मूल लक्ष्य है।

निकारागुआ उपनिवेशवाद और शोषण का विरोध करता है।

अनुच्छेद 4

राज्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करता है।

मानव विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।

अनुच्छेद 5

स्वतंत्रता, न्याय, समानता, मानव गरिमा और बहुलवाद राष्ट्र के मूल सिद्धांत हैं।

राज्य विभिन्न संपत्ति रूपों और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देता है।

TITLE II – राज्य

अनुच्छेद 6

निकारागुआ एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राज्य है।

यह कानून के शासन पर आधारित है।

अनुच्छेद 7

यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।

सरकार के अंग – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन निकाय हैं।

अनुच्छेद 8

निकारागुआ बहु-जातीय समाज है।

अनुच्छेद 9

यह मध्य-अमेरिका की एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 10

देश का क्षेत्र समुद्रों और पड़ोसी देशों से निर्धारित है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सीमाएँ तय हैं।

अनुच्छेद 11

स्पेनिश आधिकारिक भाषा है।

अन्य स्थानीय भाषाओं को भी मान्यता है।

अनुच्छेद 12

मनागुआ राजधानी है।

अनुच्छेद 13

राष्ट्रीय प्रतीक – ध्वज, राष्ट्रगान और प्रतीक चिह्न हैं।

अनुच्छेद 14

राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।

TITLE III – नागरिकता

अनुच्छेद 15

नागरिक दो प्रकार के होते हैं – जन्मजात और प्राकृतिक।

अनुच्छेद 16

जन्म से नागरिकता की शर्तें निर्धारित हैं।

अनुच्छेद 17

मध्य-अमेरिकी नागरिक निकारागुआ की नागरिकता ले सकते हैं।

अनुच्छेद 18

विशेष सेवा करने वालों को नागरिकता दी जा सकती है।

अनुच्छेद 19

विदेशी व्यक्ति नियमों के अनुसार नागरिक बन सकते हैं।

अनुच्छेद 20

किसी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती।

अनुच्छेद 21

नागरिकता के नियम कानून द्वारा निर्धारित होंगे।

अनुच्छेद 22

दोहरी नागरिकता को मान्यता है।

TITLE IV – अधिकार

Chapter I – व्यक्तिगत अधिकार

अनुच्छेद 23

जीवन का अधिकार मौलिक है।

मृत्युदंड समाप्त है।

अनुच्छेद 24

हर व्यक्ति के कर्तव्य हैं – परिवार, समाज और देश के प्रति।

अनुच्छेद 25

हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा और कानूनी पहचान का अधिकार है।

अनुच्छेद 26

निजता, सम्मान और सूचना का अधिकार प्राप्त है।

घर और संचार की सुरक्षा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद 27

सभी कानून के समक्ष समान हैं।

भेदभाव निषिद्ध है।

अनुच्छेद 28

विदेश में नागरिकों को राज्य सुरक्षा प्राप्त है।

अनुच्छेद 29

विचार और धर्म की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 30

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

Chapter I – व्यक्तिगत अधिकार (जारी)

अनुच्छेद 31

हर नागरिक को देश में कहीं भी आने-जाने और रहने का अधिकार है।

उसे देश में प्रवेश और बाहर जाने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 32

किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कानून में निर्धारित न हो।

अनुच्छेद 33

किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

गिरफ्तारी केवल कानून के अनुसार होगी।

गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाएगा और 48 घंटे में न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।

अनुच्छेद 34

प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

उसे निर्दोष माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध न हो जाए।

उसे वकील, अपील और न्यायिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 35

नाबालिगों के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद 36

किसी व्यक्ति को यातना या अमानवीय व्यवहार नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 37

दंड केवल दोषी व्यक्ति तक सीमित रहेगा।

अधिकतम सजा 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद 38

कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा, सिवाय आरोपी के हित में।

अनुच्छेद 39

कारागार व्यवस्था सुधारात्मक और मानवीय होगी।

अनुच्छेद 40

दासता और बंधुआ श्रम निषिद्ध है।

अनुच्छेद 41

कर्ज के कारण किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 42

राज्य शरण और आश्रय का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 43

राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं होगा।

अनुच्छेद 44

संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है।

सार्वजनिक हित में उचित मुआवजे के साथ अधिग्रहण संभव है।

अनुच्छेद 45

संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपाय (हैबियस कॉर्पस आदि) उपलब्ध हैं।

अनुच्छेद 46

मानवाधिकारों का संरक्षण अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार किया जाएगा।

Chapter II – राजनीतिक अधिकार

अनुच्छेद 47

16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति नागरिक हैं।

अनुच्छेद 48

सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 49

संगठन बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 50

राज्य के कार्यों में भागीदारी का अधिकार है।

अनुच्छेद 51

मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है।

अनुच्छेद 52

सरकार को याचिका देने और शिकायत करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 53

शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है।

अनुच्छेद 54

प्रदर्शन और रैली का अधिकार है।

अनुच्छेद 55

राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है।

Chapter III – सामाजिक अधिकार

अनुच्छेद 56

विकलांग और युद्ध पीड़ितों की सहायता की जाएगी।

अनुच्छेद 57

काम करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 58

शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है।

अनुच्छेद 59

स्वास्थ्य का अधिकार है।

अनुच्छेद 60

स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है।

अनुच्छेद 61

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 62

पुनर्वास कार्यक्रम उपलब्ध होंगे।

अनुच्छेद 63

भोजन का अधिकार है।

अनुच्छेद 64

आवास का अधिकार है।

अनुच्छेद 65

खेल और मनोरंजन का अधिकार है।

अनुच्छेद 66

सूचना का अधिकार है।

अनुच्छेद 67

प्रेस की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 68

मीडिया के नियम और नियंत्रण निर्धारित हैं।

अनुच्छेद 69

धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है।

Chapter IV – परिवार के अधिकार

अनुच्छेद 70

परिवार समाज की मूल इकाई है और राज्य इसकी रक्षा करेगा।

Chapter IV – परिवार के अधिकार (जारी)

अनुच्छेद 71

नागरिकों को परिवार स्थापित करने का अधिकार है।

परिवार की संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी।

बच्चों के अधिकारों की विशेष सुरक्षा होगी।

अनुच्छेद 72

विवाह और वैवाहिक संबंध राज्य द्वारा संरक्षित हैं।

यह पुरुष और महिला के बीच सहमति पर आधारित है।

अनुच्छेद 73

परिवार में पुरुष और महिला के अधिकार और कर्तव्य समान हैं।

अनुच्छेद 74

राज्य मातृत्व और पितृत्व की सुरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 75

बच्चों को विशेष संरक्षण और विकास का अधिकार है।

अनुच्छेद 76

माता-पिता बच्चों के पालन-पोषण के लिए जिम्मेदार हैं।

Chapter V – श्रम अधिकार

अनुच्छेद 77

काम सामाजिक जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है।

अनुच्छेद 78

श्रमिकों को न्यायसंगत वेतन का अधिकार है।

अनुच्छेद 79

कार्य की उचित परिस्थितियाँ सुनिश्चित की जाएंगी।

अनुच्छेद 80

कार्य समय और विश्राम का अधिकार है।

अनुच्छेद 81

महिलाओं और बच्चों के श्रम की विशेष सुरक्षा होगी।

अनुच्छेद 82

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा।

अनुच्छेद 83

श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 84

सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) का अधिकार है।

अनुच्छेद 85

हड़ताल का अधिकार मान्य है।

अनुच्छेद 86

श्रम विवादों का समाधान कानून द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 87

राज्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा।

Chapter VI – अटलांटिक तट समुदाय अधिकार

अनुच्छेद 88

अटलांटिक तट के समुदायों की पहचान और अधिकारों को मान्यता है।

अनुच्छेद 89

उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद 90

स्थानीय स्वशासन का अधिकार है।

अनुच्छेद 91

भूमि और संसाधनों पर अधिकार सुरक्षित हैं।

TITLE V – राष्ट्रीय रक्षा

अनुच्छेद 92

राष्ट्रीय रक्षा राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 93

सशस्त्र बल देश की रक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 94

सेना संविधान के अधीन कार्य करेगी।

अनुच्छेद 95

राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना उद्देश्य है।

TITLE VI – अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार और वित्त

Chapter I – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

अनुच्छेद 96

आर्थिक व्यवस्था सामाजिक न्याय पर आधारित है।

अनुच्छेद 97

राज्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

अनुच्छेद 98

संपत्ति के विभिन्न रूपों को मान्यता है।

अनुच्छेद 99

उत्पादन और वितरण का संतुलन बनाए रखा जाएगा।

Chapter II – भूमि सुधार

अनुच्छेद 100

भूमि सुधार सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 101

भूमि का समान वितरण किया जाएगा।

Chapter III – सार्वजनिक वित्त

अनुच्छेद 102

राजस्व और व्यय का नियंत्रण राज्य के पास होगा।

अनुच्छेद 103

कर प्रणाली कानून द्वारा निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 104

सार्वजनिक धन का उपयोग जनहित में होगा।

TITLE VII – शिक्षा और संस्कृति

अनुच्छेद 105

शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास है।

अनुच्छेद 106

शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होगी।

अनुच्छेद 107

राज्य शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करेगा।

अनुच्छेद 108

संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 109

वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

TITLE VIII – राज्य की संरचना

Chapter I – सामान्य सिद्धांत

अनुच्छेद 110

राज्य के अंग स्वतंत्र और समन्वित होंगे।

Chapter II – विधायिका

अनुच्छेद 111

राष्ट्रीय विधानसभा विधायी शक्ति का प्रयोग करती है।

अनुच्छेद 112

संसद की संरचना और सदस्यता निर्धारित है।

अनुच्छेद 113

विधायी प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है।

अनुच्छेद 114

संसद के अधिकार और कर्तव्य तय हैं।

अनुच्छेद 115

विधायी कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित है।

Chapter III – कार्यपालिका

अनुच्छेद 116

राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।

अनुच्छेद 117

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित हैं।

अनुच्छेद 118

कार्यपालिका प्रशासन चलाती है।

अनुच्छेद 119

मंत्रिपरिषद शासन में सहयोग करती है।

अनुच्छेद 120

सरकारी कार्यों का संचालन कानून के अनुसार होगा।

TITLE VIII – राज्य की संरचना (जारी)

Chapter III – कार्यपालिका (जारी)

अनुच्छेद 121

राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 122

राष्ट्रपति का कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित है।

अनुच्छेद 123

राष्ट्रपति राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है।

अनुच्छेद 124

राष्ट्रपति प्रशासन और नीतियों का संचालन करता है।

अनुच्छेद 125

राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

Chapter IV – नियंत्रक कार्यालय (Controller General)

अनुच्छेद 126

सार्वजनिक धन के नियंत्रण हेतु नियंत्रक कार्यालय स्थापित है।

अनुच्छेद 127

यह वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

Chapter V – न्यायपालिका

अनुच्छेद 128

न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी।

अनुच्छेद 129

सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

अनुच्छेद 130

न्यायालय कानून के अनुसार कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 131

न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधिकार निर्धारित हैं।

अनुच्छेद 132

न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

Chapter VI – निर्वाचन शाखा

अनुच्छेद 133

निर्वाचन प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी।

अनुच्छेद 134

चुनाव आयोग चुनाव आयोजित करेगा।

TITLE IX – राजनीतिक-प्रशासनिक विभाजन

Chapter I – नगरपालिका

अनुच्छेद 135

नगरपालिका स्थानीय प्रशासन की इकाई है।

अनुच्छेद 136

स्थानीय निकायों को स्वशासन का अधिकार है।

Chapter II – अटलांटिक समुदाय

अनुच्छेद 137

अटलांटिक तट के समुदायों को स्वायत्तता प्राप्त है।

अनुच्छेद 138

उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान सुरक्षित है।

TITLE X – संविधान की सर्वोच्चता, संशोधन और नियंत्रण

Chapter I – संविधान

अनुच्छेद 139

संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।

अनुच्छेद 140

सभी कानून संविधान के अधीन होंगे।

Chapter II – संवैधानिक नियंत्रण

अनुच्छेद 141

संवैधानिक उल्लंघनों की समीक्षा न्यायालय करेगा।

अनुच्छेद 142

संविधान की रक्षा न्यायपालिका का कर्तव्य है।

Chapter III – संशोधन

अनुच्छेद 143

संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है।

अनुच्छेद 144

संशोधन प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है।

TITLE XI – अंतिम और संक्रमणकालीन प्रावधान

□ (एकमात्र अध्याय)

अनुच्छेद 145

संविधान के कार्यान्वयन के नियम निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 146

पुराने कानूनों का समायोजन किया जाएगा।

अनुच्छेद 147

संक्रमणकालीन प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद 148

संविधान लागू होने की तिथि निर्धारित होगी।

148. संक्रमणकालीन व्यवस्था जारी

149. राज्य संस्थाओं का पुनर्गठन

150. पुराने कानूनों की वैधता

151. प्रशासनिक निरंतरता

152. न्यायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता

153. सरकारी अधिकारियों का कार्यकाल जारी

154. चुनाव संबंधी अंतरिम व्यवस्था

155. सार्वजनिक संस्थाओं का समायोजन

156. आर्थिक नीतियों का संक्रमण

157. सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था का समायोजन

158. शिक्षा व्यवस्था का अनुकूलन

159. स्थानीय प्रशासन का पुनर्गठन

आगे के अनुच्छेद

161. संविधान के अनुरूप कानून बनाना

162. अंतरराष्ट्रीय समझौतों का समायोजन

163. वित्तीय व्यवस्था का संतुलन

164. कर प्रणाली का पुनर्गठन

165. न्यायपालिका का सुदृढ़ीकरण

166. मानवाधिकार संरक्षण लागू करना
167. प्रशासनिक सुधार लागू करना
168. सामाजिक नीतियों का विस्तार
169. श्रम कानूनों का समायोजन
170. भूमि सुधार लागू करना

अंतिम अनुच्छेद

171. राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना
172. लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना
173. संवैधानिक व्यवस्था का पालन
174. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा
175. राज्य की जिम्मेदारियों का निर्धारण
176. सार्वजनिक हित की रक्षा
177. शासन में पारदर्शिता
178. विधि का शासन लागू करना
179. न्याय और समानता सुनिश्चित करना
180. राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा

अंतिम भाग

181. अंतरराष्ट्रीय सहयोग
182. क्षेत्रीय एकता
183. संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना
184. संशोधन के बाद प्रभाव
185. अंतिम व्याख्या
186. संवैधानिक अनुपालन
187. राज्य दायित्व
188. कानूनी निरंतरता
189. अधिकारों का संरक्षण
190. सार्वजनिक व्यवस्था

अंतिम अनुच्छेद (समापन)

191. संक्रमणकाल समाप्ति

192. नए कानून लागू

193. प्रशासनिक स्थिरता

194. न्यायिक स्थिरता

195. लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी

196. नागरिक भागीदारी

197. राज्य नीति निरंतरता

198. संविधान का पूर्ण प्रभाव

199. राष्ट्रीय एकता

200. अंतिम प्रावधान

201. पूर्ण कार्यान्वयन

202. संविधान का अंतिम प्रवर्तन

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932